

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0-933 वर्ष 2017

बैद्य नाथ पाण्डेय याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. उपायुक्त, दुमका
3. कार्यपालक अधिकारी, नगर पंचायत, बासुकीनाथ, दुमका
4. सहायक अभियंता, नगर पंचायत, बासुकीनाथ, दुमका
5. कनिष्ठ अभियंता, नगर पंचायत, बासुकीनाथ, दुमका

..... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिए :- श्री तपन कुमार मिश्रा

राज्य के लिए:- श्री गौरव राज, ए0ए0जी0-II का ए0सी0

05/15.03.2022 वर्तमान रिट याचिका, प्रत्यर्थी सं0 3 पर सुरक्षा जमा (कार्य/अनुबंध मूल्य का 5%) और बजरंगबली मंदिर से रेलवे क्रॉसिंग, भगबंध, बासुकीनाथ, दुमका तक वार्ड संख्या 5 में पीसी रोड के निर्माण के कार्य को निष्पादित करने के लिए भुगतान करते समय याचिकाकर्ता के चालू बिलों में से काटी गई 5% राशि को तुरंत जारी करने का निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई है।

प्रत्यर्थी सं० 3 की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि अनुबंध के संदर्भ में दोष देयता अवधि के दौरान रखरखाव के उद्देश्य से आरक्षित बिल राशि का 5% जो 56,827/- रुपये है, पहले से ही याची को चेक सं० 648115 दिनांक 24.11.2018 द्वारा भुगतान कर दिया गया है। इसके अलावा, अनुसूची सं० 15/2013-14 के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई 58,000/- रुपये की बयाना राशि भी उसके पक्ष में पत्र सं० 1017 दिनांक 24.11.2018 द्वारा जारी की गई है।

याची के विद्वान वकील स्वीकार करते हैं कि वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान अब प्रत्यर्थियों द्वारा कर दी गई है।

इस मामले में हो रहे कथित प्रगति को ध्यान में रखते हुए, इस मामले को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार वर्तमान रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया०)